राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2546/2025

देवकी नन्दन शर्मा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक भरतपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 21.04.2025
आदेश की दिनांक : 01.05.2025
उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री गिर्राज प्रसाद, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री महिपाल खर्रा, अति. राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की पदोन्नति प्राचार्य के पद पर होने के पश्चात अपीलार्थी के संबंध में आदेश दिनांक 12.04.2025 (अनुलग्नक–1) जारी किया गया, जिसमें अपीलार्थी का पदस्थापन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कारेडिया जिला चित्तौड़गढ़ में किया गया है। अपीलार्थी का कथन है कि अपीलार्थी की सेवानिवृत्ति में मात्र 20 माह का समय शेष है। ऐसे में अपीलार्थी का पदस्थापन अन्य जिले में किया जाना उचित नहीं है। ऐसे में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पुष्पा मेहता बनाम राजस्थान राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 16.12.1999 में अभिनिर्धारित किया गया कि कार्मिक का सेवानिवृत्ति के दो वर्ष शेष रहते स्थानान्तरण किया जाना अनुचित है। अपीलार्थी का यह भी तर्क है कि अपीलार्थी के स्वयं के विद्यालय में प्राचार्य के पद रिक्त है एवं काउंसलिंग में उक्त पद को नहीं दर्शाया गया है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण अन्य जिले में कर दिया गया।

हमने अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिए गये तर्को पर विचार किया।

हम पाते है कि अपीलार्थी का जो पदस्थापन हुआ है वह पदोन्नति उपरान्त हुआ है। अपीलार्थी का पदस्थापन काउंसलिंग प्रक्रिया के पश्चात नियमानुसार किया गया है। वर्तमान पदस्थापन पदोन्नति उपरान्त किया गया है, जो स्थानान्तरण होना नहीं माना

जा सकता है। ऐसे में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गये पुष्पा मेहता के प्रकरण अपीलार्थी के प्रकरण से भिन्न है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा की गई कार्यवाही नियमानुसार है जिसमें किसी तरह का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)